

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (सीलिंग), पाली  
पीठासीन अधिकारी:- श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या:- 07/2022

दायरा दिनांक :- 27.01.2022

अपीलांत:-  
1. अणदाराम पुत्र भेरारामजी जाति  
गरासिया, निवासी भीमाणा तहसील  
बाली जिला पाली

बनाम

रेस्पोडेण्ट:-

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी  
उप तहसीलदार बाली जिला पाली

उपरिस्थिति:-

1. श्री प्रेमसिंह राठौड़, अधिवक्ता अपीलांत।
2. श्री सुरेन्द्र सिंह लाबाना, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट।

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, बसिलसिले प्रकरण संख्या  
1948/2021 बअनवान सरकार बनाम अणदाराम निर्णय दिनांक 13.01.2022 न्यायालय  
श्रीमान् उप तहसीलदार, नाना बाली

-:निर्णय:-

दिनांक 15/6/2022

अपीलाण्ट्स ने यह अपील रेस्पोडेण्ट्स के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट के विरुद्ध पटवार हल्का भीमाणा द्वारा रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि मौजा ग्राम भीमाणा, पटवार हल्का भीमाणा की सरहद से खसरा नम्बर 2662 के रकबा 0.01 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन मगरी वाला पर अपीलाण्ट द्वारा सवत् 2078 में अतिक्रमण करने पर हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर रेस्पोडेण्ट द्वारा अपीलाण्ट के विरुद्ध धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही प्रारम्भ की तदनुषात् बिना अपीलाण्ट को सुने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत बेदखली के आदेश पारित किया गया तथा वार्षिक लगान 1.00 रुपये का 50 गुणा 25.00/ रुपये का जुर्माना आरोपित किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट यह स्थगन प्रार्थना-प्रत्र निम्न आधार पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है:-

1. अधीनस्थ न्यायालय का आदेश मनमाना, अनूचित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरित किया गया है जो काबिल निरस्त होने योग्य है।
2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनने का अवसर दिये बगैर बाले बाले कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध आदेश पारित किया गया है, जो काबिल निरस्त होने योग्य है।
3. यह है कि अपीलाण्ट द्वारा किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया गया है बल्कि अपीलाण्ट सालों से खसरा नम्बर 2662 पर काबिज है और वहां पर उसकी कई सालों से दूकान बनी हुई है जो उसके रोजी-रोटी का जरिया है।

अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)  
पाली (राज)


4. यह है कि अपीलांत आदिवासी समुदाय से एवं अशिक्षित व्यक्ति है और उसको कानूनी प्रक्रिया की जानकारी नहीं होने के कारण रेस्पोंडेण्ट राज्य सरकार के नियमों के विपरित कार्यवाही कर उसको बैदखल करने पर उतारू है, जबकि अपीलांत आदिवासी एवं पहाड़ी क्षेत्र का निवासी है
5. यह है अदालत मातहत द्वारा अपीलांत को सुने बिना व बिना किसी साक्ष्य के अपीलांत को अतिक्रमी मानने की भारी भूल की है। अदालत मातहत के पास कोई ऐसी साक्ष्य नहीं होने के बावजूद अपीलांत को अतिक्रमी मानकर अपीलांत को बेदखली व जुर्माने से दण्डित किया है जो कानून की गंशा के विपरित होने से अदालत मातहत का आदेश काबिल मंसुखी है।
6. यह है कि अदालत मातहत की पत्रावली को देखने मात्र से स्पष्ट कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांत को सुने बिना है एवं समुचित अवसर दिये बिना, कानूनी प्रक्रिया को ताक पर रखकर यह निर्णय पारित किया है। जो निर्णय आदेश मनमाना अनुचित व कानूनी सिद्धातों के विपरीत पारित किया गया है। जो काबिल निरस्त होने योग्य है।
7. यह है कि अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली को देखने मात्र से स्पष्ट कि अदालत के समक्ष अपीलांत के अतिक्रमण के सम्बंध में किसी प्रकार के कोई दस्तावेज नहीं उपलब्ध थे फिर भी अपीलांत को जबरन 91 भू-राजस्व का अधिनियम का दोषी मानते हुए बेदखली व जुर्माने से दण्डित किया गया है जो विधि के सिद्धातों के विपरीत होने से काबिल खारीज होने योग्य है।
8. यह है कि अधिनस्थ अदालत द्वारा केवल हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत गलत रिपोर्ट के आधार पर अपीलांत को अतिक्रमी मानने में भारी कानूनी भूल की है। अपीलांत की पुश्तैनी कब्जा काशत भूमि है तथा निर्विवाद उनका हक एवं अधिकारी चला आ रहा है। अपीलांत की ओर से कोई कब्जा नहीं किया गया, जो कब्जा काशत भूमि है जिस पर उनका पुश्तैनी कब्जा काशत रहवास चला रहा है। अपीलांत के द्वारा कोई कब्जा विवादग्रस्त भूमि पर नहीं किया गया है।
9. यह है कि अपीलांत एक आदिवासी ग्रामीण परिवेश का अशिक्षित व्यक्ति है जिसे कानून एवं कानूनी तथ्यों की जानकारी नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 27.11.2011 को नोटिस जारी कर दिनांक 09.12.2021 को अपीलांत को तारीख पर उपस्थित होने का आदेश प्रदान किया गया था तथा अपीलांत ने तारीख पर उपस्थित होकर निवेदन किया था, कि अन्य तारीख पेशी पर वह अपने साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे, अदालत मातहत के द्वारा अपीलांत को सुनने बिना एवं अवसर दिये बिना एक पक्षीय कार्यवाही की, जो काबिल निरस्त होने योग्य है।
10. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मान तलब किया गया।



अस्ति जिला कलेक्टर (सीलिंग)  
पाली (राज)


11. वकील अपीलांट ने जवाब पेश न कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया जिस पर राजकिय अधिवक्ता ने भी अपनी सहमति जाहिर की। बहस उभय पक्ष सूनी गई।
12. वकील अपीलांट ने बहस के दौरान अपील मिमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है, बल्कि अपीलांट सालों से खसरा नम्बर 2662 पर काबिज है और वहां पर उसकी कई सालों से दूकान बनी हुई है जो उसके रोजी-रोटी का जरिया है। अदालत मातहत द्वारा अपीलांट को सुने बिना व बिना किसी साक्ष्य के केवल हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत गलत रिपोर्ट के आधार पर बिना किसी जांच किये सरसरी तौर पर बिना अपीलान्ट को सुने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को राजस्थान भु राजस्व अधिनियम की धारा 91 के तहत बेदखली के आदेश पारित किया गया, जो अपीलान्ट के हितों व अधिकारों के विपरित होने से काबिल मन्सुखी है।
13. वकील अपीलांट ने द्वितीय तर्क दिया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट को सुने बिना व बिना साक्ष्य के अपीलान्ट को अतिक्रमी मानने में कानुनी व वाक्याती भुल की है। अदालत मातहत के समक्ष किसी प्रकार की कोई ऐसी साक्ष्य नहीं होने के बावजूद अपीलान्ट को अतिक्रमी मान कर अपीलान्ट को बेदखली का आदेश पारित किया है जो कानून की मंशा के विपरित होने से अदालत मातहत का आदेश काबिल मंसुखी है।
14. वकील अपीलांट ने तृतीय तर्क दिया कि अदालत मातहत की पत्रावली को देखने मात्र से ही यह स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को सुने बिना अपीलान्ट की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम कानुनी प्रक्रिया को ताक में रख कर बाद में बिना अपीलान्ट को सुने व जिरह का अवसर दिये और बाले बाले निर्णय किया गया है जो निर्णय आदेश मनमाना, अनुचित व प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित पारित किया है जो काबिल निरस्त होने योग्य है।
15. वकील अपीलांट ने चौथा तर्क दिया कि अदालत मातहत की पत्रावली को देखने मात्र से ही यह स्पष्ट है कि अपीलांट के विरुद्ध अतिक्रमण के सम्बन्ध में जो पटवारी रिपोर्ट बताई गई है उसमें किसी प्रकार का नक्शा एवं उस नक्शों में विशिष्ट रूप से कोई डिमारगेशन व नाप चौक व अड़ौस-पड़ौस दर्ज किया हुआ नहीं है और न ही ऐसा कोई नक्शा पत्रावली के साथ प्रस्तुत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में यह उल्लेखित नहीं किया है कि अपीलान्ट का अतिक्रमित क्षेत्र के कौनसे व कितने भाग पर अतिक्रमण है, जिससे यह पूर्णरूप से स्पष्ट नहीं है कि अपीलान्ट द्वारा किस भाग पर कितना अतिक्रमण है।

अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट अन्दर म्याद शुमार कर अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश अपास्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।


  
असि जिला कलेक्टर (सीलिंग)  
पाली (राज)

16. रेसपोडेण्ट की ओर से राजकिय अधिवक्ता ने बहस के दौरान निवेदन किया कि अपीलाण्ट ने मौजा ग्राम भीमाणा, उपतहसील नाना के खसरा नम्बर 2662 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै. मु. मगरी भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रखा था। इस पर कार्यवाही करते हुए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण संख्या 1948/2021 दर्ज किया गया। तत्पश्चात अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सूनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त विधिसम्मत कार्यवाही करते हुए दिनांक 13.01.2022 को अपीलाण्ट को उक्त आराजी से बेदखल करने का निर्णय पारित किया गया। अतः अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 13.01.2022 विधिसम्मत होने से अपील खारिज फरमाई जावें।

17. उभय पक्ष की बहस पर मगन किया गया पत्रावली पर उपलब्ध करवाये गये अभिलेखों का ध्यान-पूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के विरुद्ध अतिक्रमण के सम्बन्ध में पटवारी रिपोर्ट जो बताई गई है उसमें किसी प्रकार का नक्शा एवं उस नक्शों में विशिष्ट रूप से कोई डिमारगेशन व नाप चौक व अड़ौस-पड़ौस दर्ज किया हुआ नहीं है और न ही ऐसा कोई नक्शा पत्रावली के साथ प्रस्तुत किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपने निर्णय में यह उलेखित नहीं किया है कि अपीलाण्ट का अतिक्रमित क्षेत्र के कौनसे व कितने भाग पर अतिक्रमण है, जिससे यह पूर्णरूप से स्पष्ट नहीं है कि अपीलाण्ट द्वारा किस भाग पर कितना अतिक्रमण है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 1948/2021 में पारित निर्णय दिनांक 13.01.2022 पूर्णरूप से स्पष्ट नहीं होने से यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतित नहीं होता है।



18. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती हैं। अधिनस्थ न्यायालय उपतहसीलदार नाना द्वारा प्रकरण संख्या 1948/2021 में पारित आदेश दिनांक 13.01.2022 विधिसम्मत नहीं होने के कारण अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधिनस्थ न्यायालय को वास्ते पालनार्थ तहरीर के साथ भेजी जावें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

  
अति जिला कलेक्टर (सोलांग)  
पाली (राज)

यह आदेश आज दिनांक 15/6/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
अति जिला कलेक्टर (सोलांग)  
पाली (राज)